क्रम-संख्या—2011

रजि0 नं0 एल. डब्लू./एन. पी. 561
लाइसेन्स नं0 डब्लू0 पी0—41
लाइसेन्स टु पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 6 अक्टूबर, 1989

आश्विन 14, 1911 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1913/सत्रह-वि-1-1(क) 27/1989

लखनऊ दिनांक 6 अक्टूबर 1989

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1989 पर दिनांक 6 अक्टूबर, 1989 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्य. 22 सन् 1989 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1989

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1989]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1989 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह दिनांक 6 जून, 1989 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1972 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, उपधारा (1) में, शब्द "छः वर्ष" के स्थान पर शब्द "31 दिसम्बर, 1989 तक" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे।

निरसन और व्यावृत्ति

3—(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1989 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
नारायण दास,
सचिव।

No. 1913 (2) /XVII-V—1-1 (KA) 27-1989

Dated Luchnow, October 6, 1989

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samiti (Alpakalik Vyawastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1989 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 22 of 1989) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on October 6, 1989.

THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI SAMITIS (ALPKALIK VYAWASTHA) (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 1989

[U. P. Act no. 22 of 1989]

(As passed by the U. P. Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Krishi Utpadcn Mandi Samitis (Alpkalik Vyawastha) Adhiniyam, 1972.

It is hereby enacted in the Fortieth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

(1) This Act may be called the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpkalik Vyawastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1989.

(2) It shall be deemed to have come into force on June 6, 1989.

Amendment of section 2 of U.P Act no. 7 of 1972

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpkalik Vyawastha) Adhiniyam, 1972 hereinafter referred to as the principal Act in sub-section (1), *for* the words "of six years" the words "up to December 31, 1989" shall be *substituted* and be deemed always to have been *substituted*.

Repeal and saving

3. (1) The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpkalik Vyawastha) (Sanshodhan) Adhyadesh, 1989, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
NARAYAN DAS,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए० पी० 152 सा० (विधा०)—(2361)—1989—850 (क०)।